तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/196/2004/गंगानगर** **अपील/एल आर/197/2004/गंगानगर** **कैलाश चन्द व अन्य बनाम सार्दुल सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री मनीष पंडया, अधिवक्ता अपीलार्थी।
(2) श्री डूंगर सिंह अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय दिनांक :

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 18–10–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 सार्दुल सिंह को मुरब्बा नं 225/370 रकबा 19बीघा 10विस्वा भूमि दिनांक 4–5–90 को एवं शेष 5बीघा भूमि दिनांक 25–11–90 को उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा आवंटन की गई। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने दो अलग अलग अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18–10–03 से दोनों अपीलें खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह दोनों अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की गई हैं।

3– दोनों अपीलों में पक्षकार समान हैं, विवादित आराजी समान है तथा निर्णायक बिन्दु भी समान होने से दोनों अपीलों में एक साथ बहस सुनी जाकर दोनों अपीलों का निस्तारण एक निर्णय से किया जाता है। निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

4– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंह नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–11–90 एवं दिनांक 4–5–90 दोनों को ही पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/196/2004/गंगानगर** **अपील/एल आर/197/2004/गंगानगर** **कैलाश चन्द व अन्य बनाम सार्दुल सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवसर नहीं दिया गया,अपीलार्थीगण उक्त आदेशों में पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में धारा 96 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने की औपचारिक स्वीकृति चाही गई थी जो उनके द्वारा प्रदान की गई लेकिन अपीलार्थीगण को सुनने के उपरान्त आदेश पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिये था। जब अपीलार्थीगण के अधिकार की भूमि आवंटन कर दी गई और संज्ञान की तिथि से अपील समयावधि में मानकर स्वीकार कर ली गई तो राजस्व अपील प्राधिकारी को स्वयं गुणावगुण पर निर्णय नहीं कर परीक्षण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित करना चाहिये था। क्योंकि ऐसा न करने से अपीलार्थीगण का एक न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त हो गया। उनका यह तर्क है कि यह भूमि अपीलार्थीगण की माता को विनिमय हेतु प्रस्तावित हो चुकी थी एवं कुछ भाग पर निरन्तर भौतिक धारण भी चला आ रहा है किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण की प्रार्थना का लेशमात्र भी ध्यान नहीं रखा। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों को निरस्त कर उक्त भूमि अपीलार्थीगण को आवंटन करने के आदेश प्रदान किये जावें विकल्प में प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी रायसिंह नगर के यहां दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे। 6– बहस के खण्डन में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी जिस तबादला के आधार पर आ रहे हैं उस तबादला के आदेश को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 21–1–95 को निरस्त कर दिया है जिसमें यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि उपायुक्त उपनिवेशन को तबादला देने का अधिकार नहीं है।उसमें यह भी अंकित किया है कि दिनांक 1–6–62 से भूपसिंह सुखचैनपुरा को आवंटन शुदा है। दिनांक 21–1–85 का आदेश आज भी कायम है। दिनांक 21–11–88 को माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/196/2004/गंगानगर** **अपील/एल आर/197/2004/गंगानगर** **कैलाश चन्द व अन्य बनाम सार्दुल सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुआ जिसे इन्होंने चुनौती नहीं दी। इसलिये अपील खारिज योग्य है।

7– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान उपनिवेशन(इ.गा.न. परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13(5) बी के अन्तर्गत बालिग पुत्रों को आवंटन के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्यर्थी सार्दुल सिंह को चक 1 पी टी डी(बी) के मु.नं. 225/370 के किला नं 1से 20 की 19 बीघा 10 विस्वा भूमि का दिनांक 4–5–90 को आवंटन किया गया है तथा उक्त मु.नं.225/370 के किला नं 21से 25 की 5बीघा का आवंटन छोटी पटटी के रूप में दिनांक 25–11–1990 को किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 21,23,97,98,114 की कुल 31 बीघा भूमि भूप सिंह को आवंटन हुई। जिसे देवराज ने दिनांक 30–7–62 को जरिये बैनाम खरीद किया। देवराज ने दिनांक 25–4–67 को विद्या देवी को बेचान कर दी।तत्पश्चात उक्त भूमि को सरकारी कृषि फार्म जैतसर में अवाप्त कर ली गई।उपायुक्त उपनिवेशन ने उक्त भूमि के बदले में चक1 पी टी डी(बी) के मु.नं.225/370 की 24 बीघा 10 विस्वा एवं 224/369 की 6बीघा 10विस्वा कुल 31 बीघा भूमि का भूप सिंह को दिनांक 16–8–76 को तबादला दे दिया। राज्य सरकार ने उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी संख्या 92/78 पेश की जिसमें भूप सिंह को पक्षकार बनाया तथा अपीलार्थी की माता विद्यादेवी ने उक्त भूमि खरीदी है। उक्त विवादित भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी सार्दुलसिंह के पिता पेप सिंह ने एक डी बी स्पेशल अपील संख्या 29/80माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की जिसमें विद्यादेवी को पक्षकार बनाया है। उक्त विवादित भूमि ही प्रत्यर्थी सार्दुल सिंह को आवंटन हुई है।

9– राजस्व मण्डल ने निगरानी के निर्णय दिनांक 212–1–85 में उक्त तबादला आदेश दिनांक 16–8–76 को निरस्त किया है। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 21–1–85 के विरूद्ध अपीलार्थी या भूप सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/196/2004/गंगानगर** **अपील/एल आर/197/2004/गंगानगर** **कैलाश चन्द व अन्य बनाम सार्दुल सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	या देवराज ने आज दिनांक तक कोई चाराजोही नहीं की, इससे मण्डल का उक्त आदेश दिनांक 21–1–85अन्तिम हो गया है। प्रत्यर्थी सार्दुल सिंह ने अपने पिता पहप सिंह की खारिज भूमि प.नं.225/370 की 25 बीघा को सरप्लस घोषित के रूप में आवंटन कराने के लिये माननीय उच्च न्यायालय में डी बी स्पेशल अपील संख्या 29/80 पेप सिंह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 21–11–88 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अस्थाई कृषि पटटा धारकों की भूमि में आवंटन के पात्र होंने पर पुत्र एवं पुत्रियां दोनों आवंटन की पात्र होंगी। प्रत्यर्थी सार्दुल सिंह ने उक्त आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आवंटन अधिकारी ने दिनांक 4–5–90 को उक्त मु.नं. 225/370 के किला नं 1 से 20 की 19 बीघा 10विस्वा नहरी भूमि का आवंटन किया। तत्पश्चात सार्दुल सिंह ने दिनांक 13–6–90 को मु. नं.225/370 की शेष 5 बीघा भूमि को छोटी पटटी के तहत आवंटन कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 25–11–90 को छोटी पटटी के रूप में आवंटन किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को विधिसम्मत मानते हुये उसे बहाल रखने में राजस्व अपील प्राधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसलिये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें खारिज किये जाने येाग्य हैं। 10– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	